न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–472 / 2026
फारबिसगंज थाना कांड संख्या– 134 / 2025

मो0 अब्बास एवं 03 अन्य..... आवेदकगण
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

20-04-2026 आवेदकगण / अभियुक्तगण 1.मो0 अब्बास, 2.मो0 अताबुल, 3.साजदा खातून एवं 4.नवास की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो फारबिसगंज थाना कांड संख्या– 134 / 2025, अंतर्गत धारा–137(2), 96, 3(5) भा0न्या0सं0 से संबंधित है, को आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनय कुमार एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचिका जरीना खातुन के अनुसार यह है कि दिनांक 13.03.2025 को रात्री करीब 10:30 बजे वह सपरिवार अपने घर में सो गये थे, उसकी लड़की रेशमा खातुन, जो दूसरे कमरे में सोई हुई थी। इसी बीच उसके ही बगल के अभियुक्त मो० अब्बास ने बहला फुसलाकर जोर जबरन उसकी लड़की को घर से उठाकर अपने साथ शादी की निगत से लेकर चला गया। खोजबीन के क्रम में पता चला कि उसकी लड़की को मो० अब्बास जोर जबरन उठाकर ले गया है। इस बात को लेकर जब वे लोग उनके पिता एवं अन्य लोगों को घटना की बात बतायी तो बोला कि मेरा लड़का आपकी लड़की को लेकर नहीं भागा है। इस बात पर उक्त व्यक्तियों ने उनलोगों को गाली गलौज एवं मारपीट के लिए उतारू हो गये। अभियुक्तगण धमकी दिये कि तुमलोगों को जहाँ जाना है जाओ मेरा लड़का आपकी लड़की को लेकर नहीं गया है। उसकी लड़की भागने के क्रम कुछ जेवर–जेवरात एवं ट्रंक में रखा नगद 50,000 रूपये अपने साथ लेकर चली गयी।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदकगण द्वारा इससे पूर्व कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय या फिर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन की

कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतया गलत व आधारहीन है। आवेदकगण को दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण को ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया है। कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। आवेदकगण को केवल संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया है। पीड़िता ने अपने धारा 164 द0प्र0सं0 में कथित घटना का समर्थन नहीं किया है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण पर सूचिका की पुत्री का अपहरण का आरोप लगाया गया है। सूचिका की पुत्री को पुलिस ने बरामद कर लिया है। सूचिका ने अपने धारा 183 बी0एन0एस0एस0 के बयान में यह कहा है कि परिवार में झगड़ा होने के कारण अपने मौसी के यहां चली गयी थी। चिकित्सीय जांच में अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी यौन उत्पीड़न का साक्ष्य नहीं आया है। दोनों पक्षों के मध्य समझौता हो गया है। सूचिका और उसकी पुत्री न्यायालय में उपस्थित है और जमानत आवेदन का समर्थन करती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदकगण को आदेश प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर गिरफ्तार होने अथवा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर रू 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करने एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों के अनुपालन करने पर, आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।